क्रम सं.	कंपनी का नाम व पता
4.	गैमन इन्डियन लि. गैमन हाऊस, वीर सावरंकर मार्ग, प्रभादेवी, बम्बई-400025
5.	ग्रेन्डले कन्स्ट्रक्शन (इंडिया) लि. 204, ज्योति, भवन, ए-25, डॉ. मुखर्जी कॉमर्शियल कम्पलेक्स, नई दिल्ली-110009
6.	इ न मा कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. 251, आवी शामुगम रोड, गोपालापुरम, मद्रास-600086
7.	इरकोन इन्टरनेशनल लि, पालिका भवन, सेक्टर 13, आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066
8.	जयहिन्द कन्स्ट्रक्शन कॉरपो, 6, शिवाजी पार्क, कोल्हापुर-416001,महाराष्ट्र
9.	लारसन एंड टूबो लि. माऊन्ट पूनामल्ला रोड, मनापक्कम, पो.बा.नं.979, मद्रास -600089
10.	ओरियन्टल स्ट्रक्रल एन्जिस लि. 18/48, कॉमर्शियल काम्पलेक्स, मालची मार्ग, नई दिल्ली, -110021
11.	पुंज लॉयड लि. पुंज हाऊस, 17-18 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019
12.	राईट्स लि. न्यू दिल्ली हाऊस, 27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली -110001
13.	सोम दत्त बिल्डर्स लि. 56-58, काम्युनिटी सेन्टर, ईस्ट ऑफ कैलाश, न्यू दिल्ली -1100065
14.	स्ट्रन्थ एंड सपोर्ट बिल्डर प्रा.लि. 310 पदमा टावर-।।
	22 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
15.	टाटा प्रोजेक्ट लि., 1-10-60/3 सूर्योदय बेगमपेट, हैदराबाद -16
16.	यूनीटेक लि. 6, कम्युनिटी सेन्टर, साकेत, नई दिल्ली-110017
17.	वोल्टास इन्टरेनेशनल लि. 28-32, न्याय मिस्तली, एस.एन.वैद्य मार्ग, बम्बई-400023

परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत निर्माण लागत का उपोग

1095. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चल रही निर्माण परियोजनाओं में से 55 परियोजनाओं ऐसी है जिन पर अब तक निर्धारित और स्वीकृत निर्माण लागत का मात्र 5% व्यय किया गया है जबकि मूल निर्धारित अवधि की 50% से अधिक अवधि व्यतीत हो चुकी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन परियोजनाओं के नाम समेत तथ्य क्या है और प्रत्येक के लिए कुल कितनी निर्माण लागत स्वीकृत की गई थी और प्रत्येक मामले को पूरा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि क्या थी,

(ग) क्या सरकार अब इन परियोजानाओं के निर्माण दा दायित्व निजी क्षेत्र को देने का विचार रखती है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और काग्रक्रम काय्रान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं, कार्यक्रम कार्यान्वयन रिकार्डों थी, जिन्होनें मूल निर्माण अवधि का 50% पूराकर लिया है तथा उन पर स्वीकृत लागत का 5% व्यय हो चुका है

0 (ख) स्वीकृत लागत एंव निर्माण तिथियों इत्यादि को दर्शाती परियोजनाओं की सूची अनुपत्र में दी गई है। [देखिए परिशिष्ट 176, अनुपत्र सं.45]

(ग) जी नहीं, आगे कार्यान्वित नहीं किये जा सकने वाली परियोजनाओं की पहचान के लिए पुनर्प्राथमिक-करण की प्रक्रिया अभी पूरी की जानी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Expansion of Indo-Canadian Trade Ties

1096. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether steps have been taken by Government for the expansion of Indo-Canadian trade ties;

(b) if so, the number of deals signed with Canada during 1993-94, 1994-95 and 1995-96; and

(c) the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Government encourages Chambers of Commerce, Industry Associations, Export Promotion Councils, Commodity Boards etc. to take business delegations, organise buyer-seller meets, participate in each other's trade fairs and exchange business information with the Canadian Counterparts. In recent past, there have been high level visits from Canada including the visit of Canadian Prime Minister with large business delegation in January, 1996; visit of Mr. Roy Mac Laren, Canadian Minister for International Trade in October, 1994 and visit of Mr. Robert Huget, Minister for International Trade, Government of Ontario in February, 1995.

(b) and (c) As per DGCI & S, the position regarding trade with Canada during 1993-94, 1994-95 and 1995-96 has been as follows:

(Value in Rs. Crores)

Year	Exports	Imports	Balance of Trade	Bilateral Trade
1993-94	714.65	735.69	(-) 21.04	1450.34
1994-95	836.30	822.02	(+) 14.28 (-	1658.32
1995-96 (Upto Dec.)	738.76	864.19	)125.43	1602.95

The statistics on the number of deals signed is not maintained.

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के लिए कोयला

1097. **श्री अनन्तराम जायसवाल :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा अपने विभिन्न उपक्रमों के जरिए प्रतिवर्ष कितनी-मात्रा में और किस दर से नान कोकिंग कोल समेत कोयला भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) को उपलब्ध कराया जाता है,

(ख) क्या आपूर्ति की जा रही कोयले की गुणवत्ता अच्छी नहीं है जिसके लिए प्राधिकरण ने सी.आई.एल. को कोयले की गुणवत्ता को सुधारने पर अधिक कीमत देने की पेशकश की है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार के एक उपक्रम द्वारा इसके दूसरे उपक्रम के साथ इस तरह की कार्यवाही का औचित्य क्या है और इस तरह की कार्रवाई का औचित्य क्या है और इस तरह की प्रयोगात्मक कार्रवाई से दूसरे सार्वजनिक उपक्रमों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) कोल इंडिया लि.(को.इं.लि.) द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटे "सेल" को प्रेपण दिये गये कोयले की कुल मात्रा जिसमें अकोकर कोयला भी शमिल है, 12.56मिलियन टन किया गया था। चालू मूल दर जिस पर कि "सेल" को कोयला बेचा जाता है उसे नीचे दर्शाया गया है,